

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला-भीलवाडा

पीठारीन अधिकारी :- नारायणलाल जीनगर आर०ए०ए०१०

संख्या :- २१६/२०२३ ज० न०

शुभाराम ६० राजपाल खालकी बि० करेड़ा - ६६० करेड़ा प्रार्थी.....

वनाम

राज० मन्नार जीने तहसील करेड़ा

विपक्षीगण.....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: आदेश ::

दिनांक २१/१/२३

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत कर
दिया कि ग्राम करेड़ा पटवार हल्का धुवावा (४०) तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खातों की
संख्या ११५ आराजी नम्बर १३३१/३३२

कुलकिता १ रकबा ०.७५४४ हैक्टयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य
आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने
खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक २३/१/२३ को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ
से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है।
वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अदंशा नहीं है तथा न किसी
प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर
आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम करेड़ा
पटवार हल्का धुवावा (४०) तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या ११५ आराजी
नम्बर १३३१/३३२

कुलकिता १ रकबा ०.७५४४ हैक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी
किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक विशाना को ५००१ - रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त
किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में
मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी
होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

संलग्न:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा जिला-भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार
पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा जिला-भीलवाडा